:: कार्यालय ज्ञाप ::

बैंक की स्थापना 12 मार्च, 1959 को किसानो को उनके क्षेत्र के महाजनों एवं साहूकारों के कर्ज से मुक्ति/राहत दिलानें के उद्देश्य से हुई थी। तब से लगातार यह बैंक, ग्रामीण क्षेत्र के कृषकों को उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए, उनकी मॉग के अनुसार दीर्घ कालीन कृषि एवं कृषि आधारित कार्यो के लिए ऋण उपलब्ध कराता रहा है। कालान्तर में कृषक एवं कृषक मजदूरों को रोजगार सृजन हेतु, उन्हे लघु कुटीर उद्योग लगाने के लिए ऋण उपलब्ध करा रहा है। ज्ञातव्य है कि इस बैंक की प्रदेश के हरित क्रान्ति एवं श्वेत क्रान्ति में भी सफल भूमिका रही है।

इस प्रकार यह बैंक ग्रामीण क्षेत्र के किसानों के विकास में अहम भूमिका अदा करता आया है और आगे भी करता रहेगा तथा प्रदेश के किसानों का भी इस बैंक पर पूरा भरोसा है। बैंक की सामान्य निकाय की बैठक दिनांक 21.03.2023 के प्रस्ताव सं0–08 में लिये गये निर्णय के अनुपालन में बैंक के वर्तमान प्रचलित लोगो (पार्श्वांकित छाया चित्र–1) को परिवर्तित करते हुए नया लोगो (पार्श्वांकित छाया चित्र–2) तथा बैक का टैग लाईन **"भरोसा किसान का 1959 से ..."** को तत्काल प्रभाव से अंगीकृत किया जाता है:–

(1)

(2)

भरोसा किसान का 1959 से...

समस्त बैंक कर्मचारियों/अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि तत्काल प्रभाव से बैंक कार्यों में नवीन लोगो का ही प्रयोग करें, इसमें किसी भी प्रकार का विचलन क्षम्य नहीं होगा।

(आर0 के0 कुलश्रेष्ठ)
प्रबन्ध निदेशक

उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,प्रधान कार्यालय, लखनऊ।

ज्ञाप सं0– 19863 /स्थापना/विविध/2022–23 दिनांक:– 21.03.23

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।:–

1. समस्त अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. समस्त शाखा/वरिष्ठ/क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0प्र0सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, उ0प्र0।
3. समस्त अनुभाग/नियन्त्रक/योजनाधिकारी, उ0प्र0सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्रधान कार्यालय/प्रशिक्षण केन्द्र, लखनऊ।
4. महाप्रबन्धक(आई.टी.)उ0प्र0सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्रधान कार्यालय, लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि उक्त नया लोगो, टैग लाइन सहित समस्त शाखाओं/क्षेत्रीय कार्यालय/प्रशिक्षण केन्द्र एवं अनुभागों को उनके ई–मेल आई0डी0 पर उपलब्ध करा दिया जाए।
5. उप महाप्रबन्धक(नजारत/भवन/प्रचार प्रसार) प्रधान कार्यालय, लखनऊ को उक्तानुसार नवीन लोगो के प्रचार प्रसार के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
6. आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।

21.3.23

प्रबन्ध निदेशक